संख्या- 15 / 2017/ 273 /चार-2017-5(वि0)/2014

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 ,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 16 फरवरी ,2017

विषय:- जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-203/2016/2752/चार'2016-5(वि0) /2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड मात्र) के सापेक्ष प्रथम चरण में रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निदेशक संस्कृति निदेशालय के निर्वतन पर इस शर्त के अधीन रखी गयी कि उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग तभी किया जायेगा जब कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण प्रायोजना एवं रचना मूल्यांकन प्रभाग से करा लिया जायेगा।

2- उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 919.21 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 780.03 लाख का अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 250.00 लाख का आहरण आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त किया जायेगा तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी:-

(1) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(3) विधान सभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अत: निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) जनपद इटावा के सैफई में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु पुलिस विभाग की 0.8100 हे0 भूमि में से 5000 वर्ग मी0 संस्कृति विभाग को नि:शुल्क हस्तानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 18-11-2016 को सम्पन्न बैठक में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर किया गया है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा लागत का आकलन किया गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत स्टेज लाइटिंग, साउण्ड सिस्टम , स्टेज कर्टेन सिस्टम , कम्युनिकेशन सिस्टम चेयर की लागत का प्राविधान कोटेशन के आधार पर किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक,माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का आगणन परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 इकाई-9 इटावा द्वारा तैयार किया गया है, जो मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निदेशक, संस्कृति विभाग द्वारा संस्तुत तथा सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

(8) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना,प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी)को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्यपूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 15 / 2017 / 273 (1)/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 , लखनऊ ।

3 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।